

प्रेषक,

संख्या-323/एक-10-2026-12(34)/2003 टीसी-1

अरुण पकाश,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

हापुड एवं मुरादाबाद।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 29-03-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये धनावंटन हेतु एम0एच0ए0 के पत्र संख्या-33-03/2020-एन0डी0एम0-1, दिनांक 11.07.2023 द्वारा जारी गाइडलाइन के आइटम नं0-3 (क) के प्राविधान-राहत कैम्प में सुरक्षित बचाकर लाये गये व्यक्तियों/शरणार्थियों/प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा आदि की व्यवस्था किये जाने के आलोक में गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने हेतु कम्बल क्रय के लिये ₹0 54,79,297.00 (रूपये चौवन लाख उन्यासी हजार दो सौ सत्तानबे मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	जनपद	आपदा का प्रकार/मद	स्वीकृत धनराशि (₹0 में)
1	2	3	4
1	मुरादाबाद	शीतलहरी (08)	22,13,320.00
2	हापुड	शीतलहरी (08)	32,65,977.00
		योग	54,79,297.00
(रूपये चौवन लाख उन्यासी हजार दो सौ सत्तानबे मात्र)			

नियम एवं शर्तें

- (1) कम्बल क्रय किये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-1031/एक10-2025--2003/(34)12टीसी1- , दिनांक 01.11.2025 में दिये गये प्राविधानों/निर्देशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाये और यदि शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता/लापवाही बरती जाती है ,तो इसके लिए जिलाधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (2) विगत 03 वर्षों में कम्बल क्रय हेतु व्यय किये गये औसत धनराशि से अधिक धनराशि का कम्बल क्रय न किया जाय। अपरिहार्य परिस्थिति में ही अतिरिक्त कम्बल क्रयकी मांग राहत आयुक्त, उओप्रओ के माध्यम से ही शासन को उपलब्ध कराया जाय। किसी भी स्थिति में अतिरिक्त कम्बलों का क्रय धनराशि निर्गत होने के पूर्व न किया जाय।
- (3) आपूर्तिकर्ता संस्था को कम्बल पर टैग लगाना होगा जिस पर संबंधित संस्था का नाम कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है, जो बिक्री के लिए नहीं है।
- (4) उक्त धनराशि का व्यय एमओएचओ के पत्र संओ-33-03/2020-एनओडीओएमओ-1, दिनांक 11.07.2023 द्वारा जारी गाईड लाइन में उल्लिखित अर्ह मानक मर्दों के अनुसार किया जायेगा।
- (5) निर्बल, निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्यधिक ठण्ड व शीतलहरी से बचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा बिना समय गवाएं जरूरत मंद व्यक्तियों को यथाशीघ्र समय से निःशुल्क कम्बल आदि की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, ताकि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी की पूरी अवधि हेतु उन्हें यह सुविधा प्राप्त हो सके।
- (6) निर्बल, निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के चिन्हीकरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन/अन्त्योदय कार्ड की प्रतीक्षा सूची, भूमिहीन, बीमार व अत्यधिक वृद्धजनों को प्राथमिकता दी जाये। विधवा पेंशन की प्रतीक्षा सूची में से अल्पसंख्यक बच्चों व अत्यधिक वृद्ध विधवाओं का तथा नगरीय क्षेत्र मलिन बास्तियों व ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े मजूरों में निवास करने वाले विशेषकर कमजोर वर्ग के वृद्ध, बीमार पुरुष/महिला, निराश्रित एवं असहाय को प्राथमिकता दी जाये उपरोक्त के क्रम में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया जाये तथा क्रय कम्बलों आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए कैम्प लगाकर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरित किया जायेगा तथापि रात्रि में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से भी पात्रों को कम्बल आदि का वितरण सुनिश्चित कराया जाये।
- (7) इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग प्राप्त किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु न हो।
- (8) निःशुल्क कम्बल प्राप्त करने वाले व्यक्ति का विवरण जनपद स्तर पर रखा जायेगा तथा जनपद की वेबसाइट के साथ ही राहत की वेबसाइट rahat@nic.in पर अवश्य फीड कराया जायेगा।
- (9) क्रय किये गये कम्बलों तथा अलाव जलाने पर व्यय की गयी धनराशि आदि का जिला स्तर पर समुचित लेखा जोखा रखा जायेगा तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया जायेगा।
- (10) क्रय किये गये कम्बलों की गुणवत्ता मानक के अनुसार होने एवं क्रय के संबंध में शासन की दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (11) मण्डलायुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके अधीनस्थ जनपदों में क्रय किये जाने वाले कम्बलों की गुणवत्ता/मानक/मूल्य में बिना युक्ति-युक्त कारणों के अधिक अन्तर न हो।
- (12) कम्बलों का वितरण की अदयावधिक स्थिति राहत आयुक्त कार्यालय के ई-मेल rahat@nic.in पर प्रत्येक दिन शाम 4 बजे तक अवश्य उपलब्ध कराया जाए।
- (13) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश संओ-2/1-11-2013-राओ-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2026 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(14) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वितीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5- भाग 1- के प्रस्तर 369--एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं 0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(15) उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय वर्तमान वितीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं 0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 05--स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड 800--अन्य व्यय 06--स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय 08--शीतलहरी/पाला हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय 42--अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
ARUN PRAKASH
Date: 29-03-2026
15:59:21

(अरुण प्रकाश)

विशेष सचिव।

संख्या- 323 (1)/एक-10-2026-12(34)/03 टीसी-I, तद्विनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम(लेखा एवं हकदारी), प्रयागराज, 30प्र0।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 30प्र0।
- 3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव 30प्र0।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र0 लखनऊ।
- 5- राहत आयुक्त, 30प्र0, लखनऊ।
- 6- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
- 7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, लखनऊ, 30प्र0।
- 9- संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 10- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-5।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
KULDEEP SINGH
Date: 31-03-2026
21:56:40

(कुलदीप सिंह)

उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-31/03/2026

प्रेषण संख्या:- 323
आवंटन आदेश संख्या:- 001-323
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेतर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
08 - शीत लहरी / पाला से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2213320 9142686	2213320 9142686
2	हापुड़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3265977 9050000	3265977 9050000
	योग	वर्तमान प्रगामी	5479297 18192686	5479297 18192686

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौवन लाख उन्नासी हजार दो सौ सत्तानवे
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ इक्कासी लाख बानवे हजार छः सौ छियासी

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी